दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 12/01/2023

निर्णय की तिथि: 09/02/2023

+ले.पे.अ. 21/2023

डीडी गियर्स कर्मचारी संघ पंजी. ...अपीलार्थी

द्वारा: श्री उमेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता

बनाम

डीडी गियर्स लिमि. व अन्य ...प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री ऋषिकेश कुमार, अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता, रा.रा.क्षे.दि.स. सह श्री मुहम्मद ज़ैद, श्री सुधीर कुमार शुक्ला और श्री सुमित चौधरी, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्या.

1. वर्तमान ले.पे.अ. दिनांक 19.12.2022 को रि.या.(सि.) सं. 17136/2022 शीर्षक *डीडी गियर्स कर्मचारी संघ बनाम डीडी गियर्स प्रा. लिमि. व अन्य* में पारित आदेश द्वारा उत्पन्न हो रही है|

2. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी द्वारा यह रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 1 के खिलाफ अभियोजन शुरू करने हेतु उपयुक्त रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करने एवं वैधानिक एवं क़ानूनी देय के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र ज़ारी करने के लिए दायर की गई थी|

3. कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम, 1952 (ईपीएफ अधिनियम) और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआईसी अधिनियम) के तहत निहित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने हेतु एक और प्रार्थना की गई|

4. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी सं. 1 डीडी गियर्स प्रा. लिमि. द्वारा नियुक्त किया गया था और प्रत्यर्थी सं. 1 ने 02.04.1999 को कर्मचारियों की छंटनी हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) की धारा 25(एन) को ध्यान में रखते हुए अनुमति माँगी थी| प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा माँगी गई अनुमति 27.10.1999 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी|

5. इसके बाद प्रत्यर्थी सं. 1 ने समझौते की कार्यवाही लंबित होने के दौरान तालाबंदी की घोषणा की जो 13.01.2000 को श्रमिकों की सामान्य माँग हेतु लंबित थी और श्रमिकों ने आईडी अधिनियम की धारा 23 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 14.01.2000 को प्राधिकारियों के समक्ष समझौते की कार्यवाही शुरू की थी|

6. रा.रा.क्षे.दि.स. ने 10.02.2000 को प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा घोषित तालाबंदी को अवैध घोषित किया और आईडी अधिनियम की धारा 10 के तहत औद्योगिक अधिकरणों को अधिनिर्णय हेतु एक संदर्भ भी भेजा|

7. प्रत्यर्थी नियोक्ता ने 19.04.2000 को इस न्यायालय के समक्ष रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ और साथ ही साथ न्यायनिर्णयन के सन्दर्भ को अग्रेषित करने में रा.रा.क्षे.दि.स. की कार्रवाई के खिलाफ रि.या.(सि.) सं. 1659/2000 को दायर किया था| हालाँकि, रिट याचिका अर्थात रि.या.(सि.) सं. 1659/2000 को 24.02.2004 के एक आदेश द्वारा खारिज किया गया था|

8. जब यह सब चल रहा था, औद्योगिक अधिकरण ने 16.05.2000 को प्रत्यर्थी सं.1 नियोक्ता को, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्रमिकों को वेतन का आधा भुगतान करने का निर्देश दिया था| हालाँकि, प्रत्यर्थी सं.1 नियोक्ता द्वारा 16.05.2000 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था|

9. तथ्यों से यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 नियोक्ता ने 14.06.2000 को रा.रा.क्षे.दि.स. के समक्ष एक और आवेदन आईडी अधिनियम की धारा 25 (एन)(6) के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें 156 कर्मचारियों की छंटनी करने की अनुमति प्रदान करने के उनके पूर्व आदेश की समीक्षा की माँग की थी और 14.06.2000 को आवेदन खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ इस मामले में एक रिट याचिका दायर की गई थी|

10. उसके बाद नियोक्ता ने 18.10.2000 को आईडी अधिनियम की धारा 25(ओ) के तहत एक आवेदन दायर किया और 15.12.2000 को रा.रा.क्षे.दि.स. ने आईडी अधिनियम की धारा 25(एन) के तहत दिए गए आवेदन को खारिज किया और फिर से एक रिट याचिका यानी रि.या.(सि.) सं. 3629/2001 को दायर की गई थी| अंत में, औद्योगिक अधिकरण द्वारा 29.10.2002 को आईडी अधिनियम की धारा 10 के तहत एक अधिनिर्णय पारित किया गया जिसमें कहा गया कि श्रमिक 01.09.2000 से प्रभावी वेतन के हकदार हैं|

11. मामले के तथ्य आगे बताते हैं कि इस न्यायालय ने रि.या.(सि.) सं. 3069/2001 में दिनांक 11.03.2015 को बंद करने की अनुमति को नकारते हुए रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेश को अपास्त करने एवं आईडी अधिनियम की धारा 25(ओ)(8) के प्रावधान का अनुपालन करने हेतु एक आदेश पारित किया| हालाँकि, प्रत्यर्थी नियोक्ता ने श्रमिकों के वैधानिक देय राशि का भुगतान नहीं किया|

12. एक अन्य रिट याचिका अर्थात रि.या.(सि.) सं. 1091/2003 में, इस न्यायालय ने 11.03.2015 के एक आदेश द्वारा यह माना है कि श्रमिक 13.01.2000 के बाद वेतन के हकदार नहीं हैं, और प्रत्यर्थी सं.1 नियोक्ता का तालाबंदी जारी रखना न्यायसंगत है|

13. अपीलार्थी संघ ने रि.या.(सि.) सं. 1091/2003 और रि.या.(सि.) सं. 7667/2003 में पारित आदेश को खंड न्यायपीठ के समक्ष चुनौती दी थी, हालाँकि, ले.पे.अ. को देरी और ढिलाई के आधार पर वर्जित के रूप में खारिज कर दिया गया था|

14. वर्तमान रिट याचिका, जो वर्तमान ले.पे.अ. की विषय वस्तु है, प्रत्यर्थी नियोक्ता को आईडी अधिनियम की धारा 25(ओ)(8) के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रि.या.(सि.) सं. 3069/2001 में निर्देशित किया गया है और ईएससीआई व ईपीएफ अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए नियोक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए, एक निर्देश जारी करने हेतु दायर की गई है|

15. रिट याचिका का प्रार्थना खंड निम्नानुसार है:

> *"I) रिट, आदेश अथवा **परमादेश** की प्रकृति में निर्देश या अन्य कोई उचित रिट, आदेश अथवा याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्देश, एवं*

प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध अपनी स्थापना को अवैध रूप से बंद करने हेतु अभियोजन की कार्यवाही शुरू करने हेतु।

*II) रिट, आदेश अथवा **परमादेश** की प्रकृति में निर्देश या अन्य कोई उचित रिट, आदेश अथवा याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्देश, एवं प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं. 1 के कर्मचारियों के वैधानिक और कानूनी बकाये के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने और दंडात्मक ब्याज के साथ इसे वसूल करने हेतु।*

*III) रिट, आदेश अथवा **परमादेश** की प्रकृति में निर्देश या अन्य कोई उचित रिट, आदेश अथवा याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्देश, एवं प्रत्यर्थी सं. 3 के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं. 1 के खिलाफ ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर अभियोजन की कार्यवाही शुरू करने और प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ नियोजित श्रमिकों के पक्ष में दंड और ब्याज के साथ प्रत्यर्थी सं. 1 से देय राशि की वसूली हेतु।*

IV) रिट, आदेश अथवा परमादेश की प्रकृति में निर्देश या अन्य कोई उचित रिट, आदेश अथवा याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्देश, एवं प्रत्यर्थी सं. 4 के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं.1 के विरुद्ध ईएसआईसी अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए अभियोजन की कार्यवाही शुरू करने और साथ नियोजित श्रमिकों के पक्ष में जुर्माना और ब्याज के साथ प्रत्यर्थी सं.1 से देय राशि की वसूली हेतु।

कोई अन्य आदेश जो माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे, वह भी याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।"

16. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रि.या.(सि.) सं. 17136/2022 का निपटान किया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.12.2022 को पैराग्राफ 4, 5, 6 और 7 में निम्नानुसार पढ़ा गया है:-

"4. प्रारंभ में, यह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के समक्ष रखा गया है कि वर्तमान रिट याचिका कैसे अनुरक्षणीय होगी जब याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 2 से प्रत्यर्थी सं. 1 के खिलाफ

कोई कार्रवाई शुरू करने हेतु माँग करते हुए संपर्क नहीं किया है। जवाब में, उन्होंने कहा है कि भले ही आज तक याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायतों के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 से संपर्क नहीं किया है, यह प्रत्यर्थी सं. 2 का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि प्रत्यर्थी सं. 1 इस न्यायालय द्वारा रि.या.(सि.) सं. 3069/2001 में दिनांक 11.03.2015 को जारी निर्देशों का अनुपालन करें|

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, मेरा विचार है कि वर्तमान रिट याचिका असामयिक है। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह प्रत्यर्थी सं. 2 के पास इस शिकायत के साथ भी नहीं गए है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जो आईडी अधिनियम की धारा 25-ओ के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु था या निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, को सर्वप्रथम प्रत्यर्थी सं. 2 को अपनी शिकायत के साथ संपर्क करने की आवश्यकता थी कि प्रत्यर्थी सं. 1 आईडी अधिनियम की धारा 25-ओ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। रिट याचिका, इसलिए इस स्तर पर, अनुरक्षणीय नहीं है और तदनुसा, खारिज की जाती है|

6. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी सं. 2 से अभ्यावेदन के माध्यम से अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करते हुए संपर्क करने से नहीं रोकता है, यदि अभ्यावेदन दिया जाता है तो उस पर प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जाएगा|

7. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा पारित किसी भी आदेश से व्यथित है तो वह कानून द्वारा अनुमत कानूनी सहारा लेने के लिए मुक्त होंगें|"

17. विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि आईडी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो सर्वप्रथम श्रमिकों को रा.रा.क्षे.दि.स. से संपर्क करने की आवश्यकता है और वह उनकी शिकायतों को दूर करने का उपाय आईडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत रखते हैं|

18. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को अन्य कानूनी उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका का निपटान करना न्यायोचित था| औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और यदि किसी अधिनिर्णय का अनुपालन नहीं किया गया है या, मामले में, आईडी अधिनियम के तहत अन्य वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो यह नियोक्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी प्रावधान रखता है|

19. इसी तरह, ईएसआईसी और ईपीएफ अधिनियम भी शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करते हैं और इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका का निपटान करने के लिए न्यायोचित थे| इसलिए, यह न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है| तदनुसार, वर्तमान ले.पे.अ. की स्वीकृति को खारिज किया जाता है|

(सतीश चंद्र शर्मा)
मुख्य न्यायाधीश

(सुभ्रमोणयम प्रसाद)
न्यायाधीश

09 फरवरी, 2023
एकेएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*